"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी 2014— माघ 4, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2014

क्रमांक 769/डी. 15/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22-01-2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 1 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) अधिनियम, 2014

वित्तीय वर्ष 2013-2014 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम. 1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए राज्य की संचित निधि में से 18,76,67,40,663 रुपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट उन राशियों को सम्मिलित करते हुए एक हजार आठ सौ छिहत्तर करोड़ सड़सठ लाख चालीस हजार छः सौ तिरेसठ मात्र रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिए)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	4,43,00,000	6,00,000	4,49,00,000
		पूंजी	16,84,53,371	0	16,84,53,371
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	60,80,000	0	60,80,000
03	पुलिस	राजस्व	91,65,36,400	0	91,65,36,400
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	1,54,70,000	0	1,54,70,000
05	जेल	राजस्व	6,00,00,100	0	6,00,00,100
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	29,00,00,000	0	[illegible]

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	200	0	200
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	35,00,200	5,28,820	40,29,020
10	वन	राजस्व	86,60,000	25,00,000	1,11,60,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	22,00,00,000	0	22,00,00,000
13	कृषि	राजस्व	1,50,00,000	0	1,50,00,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,16,06,350	0	5,16,06,350
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	8,47,12,000	0	8,47,12,000
16	मछली पालन	राजस्व	55,00,000	0	55,00,000
18	श्रम	राजस्व	300	0	300
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	50,00,00,000	0	50,00,00,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	0	50,00,000	50,00,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	0	4,50,000	4,50,000
		पूंजी	100	0	100
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,78,100	0	3,78,100
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	3,28,57,000	0	3,28,57,000
		पूंजी	3,21,09,000	0	3,21,09,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	7,50,000	0	7,50,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	24,20,50,200	0	24,20,50,200
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	31,00,000	30,00,000	61,00,000
		पूंजी	100	0	100
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	16,14,66,000	0	16,14,66,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	10,00,00,000	0	10,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	4,00,00,000	0	4,00,00,000
36	परिवहन	राजस्व	1,00,00,100	0	1,00,00,100
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	3,82,49,99,100	0	3,82,49,99,100
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	4,31,77,22,400	0	4,31,77,22,400
		पूंजी	19,55,00,300	0	19,55,00,300
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	99,00,000	0	99,00,000
		पूंजी	56,00,00,000	0	56,00,00,000
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	पूंजी	100	0	100
48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व	3,60,00,100	0	3,60,00,100
		पूंजी	1,64,62,000	0	1,64,62,000
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,29,00,000	0	1,29,00,000
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय.	राजस्व	7,50,00,000	0	7,50,00,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,00,00,100	0	1,00,00,100
		पूंजी	25,71,00,000	0	25,71,00,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	83,60,572	0	83,60,572
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	200	0	200
64	अनसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	1,32,33,83,950	0	1,32,33,83,950
		पूंजी	9,20,85,100	0	9,20,85,100
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	35,40,00,000	0	35,40,00,000
		पूंजी	9,30,84,000	0	9,30,84,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	7,60,00,000	0	7,60,00,000
		पूंजी	2,82,77,100	0	2,82,77,100
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी	100	0	100

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण.	राजस्व	41,54,40,000	0	41,54,40,000
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी.	राजस्व	28,00,00,000	0	28,00,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	6,22,00,200	0	6,22,00,200
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,29,20,68,000	0	1,29,20,68,000
81	नगरीय निकायों की वित्तीय सहायता	राजस्व	1,81,09,20,000	0	1,81,09,20,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	56,96,02,000	0	56,96,02,000
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,11,27,000	0	2,11,27,000
	योग	राजस्व	**17,09,15,90,572**	**70,78,820**	**17,09,86,69,392**
		पूंजी	**1,66,30,71,271**	**50,00,000**	**1,66,80,71,271**
	वृहद योग		**18,75,46,61,843**	**1,20,78,820**	**18,76,67,40,663**

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2014

क्रमांक 769/डी. 15/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 1 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 1 of 2014)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 1) ACT, 2014

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2013-14.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-Fourth year of the Republic of India, as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation Act, 2014.

Issue of Rs. 18,76,67,40,663 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial year 2013-2014.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule, including the sums specified in column (3) of the Schedule of the Chhattisgarh Appropriation Act, amounting in the aggregate to the sums of One thousand eight hundred seventy six crore sixty seven lakhs forty thousand six hundred sixty three rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2013-2014 in respect of services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purpose expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

No of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
(1)	(2)			(3)	
			Rs.	Rs.	Rs.
01	General Administration	Revenue	4,43,00,000	6,00,000	4,49,00,000
		Capital	16,84,53,371	0	16,84,53,371
02	Other expenditure pertaining to General Administration Department.	Revenue	60,80,000	0	60,80,000
03	Police	Revenue	91,65,36,400	0	91,65,36,400
0[illegible]	[illegible] expenditure pertaining to Home Department.	Revenue	1,54,70,000	0	1,54,70,000
[illegible]	[illegible]	Revenue	6,00,00,100	0	6,00,00,100

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
06	expenditure pertaining to Finance Department.	Revenue	29,00,00,000	0	29,00,00,000
07	expenditure pertaining to Commercial Tax Department.	Revenue	200	0	200
08	Land revenue and district administration.	Revenue	35,00,200	5,28,820	40,29,020
10	Forest	Revenue	86,60,000	25,00,000	1,11,60,000
12	expenditure pertaining to Energy Department.	Capital	22,00,00,000	0	22,00.00,000
13	Agriculture	Revenue	1,50,00.000	0	1,50,00,000
14	Expenditure pertaining to Animal Husbandry Department.	Revenue	5,16,06,350	0	5.16.06,350
15	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under Scheduled Caste Sub Plan.	Revenue	8,47,12,000	0	8,47.12,000
16	Expenditure pertaining to Fisheries Department.	Revenue	55,00,000	0	55,00,000
18	Labour	Revenue	300	0	300
19	Public Health and Family Welfare	Revenue	50,00,00,000	0	50,00,00,000
24	Public works-roads and bridges	Capital	0	50,00,000	50,00,000
25	Expenditure pertaining to Mineral resources Department.	Revenue	0	4,50,000	4,50,000
		Capital	100	0	100
26	Expenditure pertaining to Culture Department.	Revenue	3,78,100	0	3,78,100
27	School education	Revenue	3,28,57,000	0	3,28,57,000
		Capital	3,21,09,000	0	3,21,09,000
28	State Legislature	Revenue	7,50,000	0	7,50,000
29	Administration of Justice and Elections.	Revenue	24,20,50,200	0	24,20,50,200

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department.	Revenue	31,00,000	30,00,000	61,00,000
		Capital	100	0	100
31	Expenditure pertaining to Planning Economics and Statistics Department.	Revenue	16,14,66,000	0	16,14,66,000
32	Expenditure pertaining to Public Relations Department.	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
33	Expenditure pertaining to Tribal Welfare Department.	Revenue	4,00,00,000	0	4,00,00,000
36	Transport	Revenue	1,00,00,100	0	1,00,00,100
39	Expenditure pertaining to Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department.	Revenue	3,82,49,99,100	0	3,82,49,99,100
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue	4,31,77,22,400	0	4,31,77,22,400
		Capital	19,55,00,300	0	19,55,00,300
45	Minor Irrigation Works	Revenue	99,00,000	0	99,00,000
		Capital	56,00,00,000	0	56,00,00,000
47	Man-Power Planning and Technical Eduction Department.	Capital	100	0	100
48	Grant Under Thirteenth Finance Commission.	Revenue	3,60,00,100	0	3,60,00,100
		Capital	1,64,62,000	0	1,64,62,000
53	Financial assistance to Urban bodies under Scheduled Caste Sub Plan.	Revenue	1,29,00,000	0	1,29,00,000
54	Expenditure pertaining to Agricultural Research and Eduction.	Revenue	7,50,00,000	0	7,50,00,000
55	Expenditure pertaining to Women and Child Welfare.	Revenue	1,00,00,100	0	1,00,00,100
		Capital	25,71,00,000	0	25,71,00,000
56	Rural Industries	Revenue	83,60,572	0	83,60,572

(1)		(2)	(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
58.	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity.	Revenue	200	0	200
64	Scheduled Caste Sub Plan	Revenue	1,32,33,83,950	0	1,32,33,83,950
		Capital	9,20,85,100	0	9,20,85,100
66	Welfare of Backward Classes and Minorities.	Revenue	35,40,00,000	0	35,40,00,000
		Capital	9,30,84,000	0	9,30,84,000
67	Public Works-Buildings	Revenue	7,60,00,000	0	7,60,00,000
		Capital	2,82,77,100	0	2,82,77,100
68	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-buildings.	Capital	100	0	100
69	Expenditure pertaining to Urban Administration and Development Department-Urban Welfare.	Revenue	41,54,40,000	0	41,54,40,000
71	Information Tachnology and Bio Technology.	Revenue	28,00,00,000	0	28,00,00,000
79	Expenditure pertaining to Medical Education Department.	Revenue	6,22,00,200	0	6,22,00,200
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions.	Revenue	1,29,20,68,000	0	1,29,20,68,000
81	Financial assistance to Urban bodies.	Revenue	1,81,09,20,000	0	1,81,09,20,000
82	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under the tribal area sub-plan.	Revenue	56,96,02,000	0	56,96,02,000
83	Financial assistance to urban bodies under the tribal area sub-plan.	Revenue	2,11,27,000	0	2,11,27,000
	Total	**Revenue**	**17,09,15,90,572**	**70,78,820**	**17,09,86,69,392**
		Capital	**1,66,30,71,271**	**50,00,000**	**1,66,80,71,271**
	Grand Total		**18,75,46,61,843**	**1,20,78,820**	**18,76,67,40,663**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.